मुस्लिम महिलाओं का 'यूनिफार्म सिविल कोड' के प्रति विरोध

नई दिल्ली, 27 अक्टूबर, 2016

हम मुस्लिम महिलाएँ कहना चाहती हैं कि हम मुस्लिम पर्सनल लॉ के अतंर्गत खुद को पूर्ण रूप से सुरक्षित महसूस करतीं हैं। सरकार स्त्री–पुरुष की समानता के लिए, मुस्लिम पर्सनल लॉ की बारिकियाँ जाने बगैर यह 'यूनिफार्म सिविल कोड' ला रही है। हम मुस्लिम महिलाएँ सब को यह बताना चाहती हैं कि हम 'शरीयत कानून' में बिलकुल सुरक्षित हैं और हमें वे हक मिले हैं जो और किसी धर्म में औरतों को नहीं दिए गए, चूंकि मोहम्मद साहब द्वारा कुरान इस धरती पर आई थी इसलिए 'शरीयत कानून' कुरान के मुताबिक ही बना है और उनके साथियों द्वारा माने गए कानून ही 'शरीयत कानून' में अपनाए गए हैं। तथ्य ये बताते हैं कि तलाक और पुनर्विवाह मुसलमानों में सबसे कम हैं, लेकिन 'यूनिफार्म सिविल कोड' द्वारा यह दर्शाया जा रहा है जैसे मुसलमानों को तलाक के अलावा और कोई काम नहीं है। यह कोड लाने से पहले कुछ सवालों के जवाब जानने बहुत जरूरी हैं–

1. क्यों सरकार अब तक 50 प्रतिशत औरतों को विधानसभा में नहीं ला पाई ?
2. औरतों की न्यायीक व्यवस्था में कितनी भागीदारी है ?
3. आई.आई.टी., नामिक शैक्षणिक और अनुसंधान केंद्रों में औरतों की भागीदारी क्यों नहीं है ?
4. सेना में महिलाओं की भागीदारी कितनी है ?
5. अगर कोई दंपत्ति साथ रहना नहीं चाहता तो, उनको अलग होने में कितना समय लगता है ?

हम अपनी बात को और मजबूती से कहते हैं कि

1. इस्लाम में शादी को एक समझौता बताया गया है, जिसमें औरतों को बहुत से अधिकार प्राप्त हैं। जैसे कि अगर एक मुस्लिम महिला जब तक ''कबूल है'' नहीं कहती तब तक निकाह नहीं माना जाता।
2. संपति को लेकर पुरुष और महिलाओं में कोई भेद–भाव नहीं है, क्योंकि वह कुरान के मुताबिक होता है।
3. कन्या भ्रूण हत्या और दहेज के मुकदमे सबसे कम मुसलमानों में ही हैं।
4. अधिकतर मुस्लिम महिलाएँ 'शरीयत कानून' से संतुष्ट हैं और वे इसमें कोई बदलाव नहीं चाहतीं।

हम यह बताना चाहते हैं कि जो लोग 'यूनिफार्म सिविल कोड' लाना चाहते हैं वे तथ्यों को तोड़–मरोड़कर पेश कर रहे हैं।

आपको जानकर हैरानी होगी कि, संघ परिवार में ही इस मामले पर अलग–अलग मत हैं।

राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ कहता है कि ''तीन बार तलाक कहना, मुसलमानों का अंदरुनी मामला है'', जबकि हमारे प्रधानमंत्री ने एक अलग ही तस्वीर पेश की है। यह बहुत दुख की बात है कि प्रधानमंत्री ने इस 'यूनिफार्म सिविल कोड' को एक चुनावी मुद्दा बना दिया है। हम मुस्लिम औरतों यह कहना चाहती हैं कि हमें 'शरीयत कानून' में पूरा विश्वास है और इसमें कोई बदलाव नहीं चाहतीं।

हम मीडिया से भी यही अनुरोध करती हैं कि इस मुद्दे पर देशभर में सही छवी प्रस्तुत करे। हमें उम्मीद है कि सरकार और प्रधानमंत्री मिलकर इस 'यूनिफार्म सिविल कोड' की प्रस्तावना को सुप्रीम कोर्ट से वापिस ले लेंगे।

तलाक प्रतिबंधित करना देश की मुस्लिम महिलाओं के प्रति अन्याय है, क्योंकि इस्लाम में औरतों की बहुत ही आदरपूर्ण स्थिति है और उन्हें बाध्य नहीं किया जा सकता कि वे पुनः उसी पति के पास जाए जो उन्हें तलाक दे चुका है। तीन तलाक उन दंपतियों को यह आजादी प्रदान करता है कि जो दंपति साथ नहीं रहना चाहते वे आजाद हो जाएँ।

मुस्लिम पर्सनल लॉ औरत और पुरुषों को समान अधिकार देता है। बहुविवाह इस्लाम में मान्य है, इस शर्त पर कि न्याय व समानता सबमें रहे। सरकारी प्रमाण के अनुसार मुसलमानों में केवल 3.5 प्रतिशत दूसरी शादियाँ होती हैं जबकि हिंदू समुदाय में यह आकड़ा 6.8 प्रतिशत है। एक मुसलमान की दूसरी पत्नी को वही अधिकार मिलते हैं जोकि पहली पत्नी के होते हैं, जबकि दूसरे समुदायों में दूसरी पत्नी केवल 'दूसरी' ही बन कर रह जाती है, उसे संपति में तो क्या परिवार में भी समान दर्जा नहीं मिलता। हम उन मुस्लिम औरतों को सलाम करते हैं जो देश के विभिन्न राज्यों से एकजुट होकर 'मुस्लिम पर्सनल लॉ' को बचाने की मुहिम में अग्रसर हैं। हम देश की अन्य मुस्लिम महिलाओं से अपील करते हैं कि वे अधिक से अधिक संख्या में आगे आएँ और मुस्लिम पर्सनल लॉ को सरकार की दखलंदाज़ी से बचाएँ। हम मुस्लिम महिलाओं से यह भी अपील करते हैं कि वे मीडिया से भ्रमित न हों और सही मुद्दे को समझकर एक साथ खड़ी हों और शांतिपूर्ण तरीके से अपना सहयोग मुस्लिम पर्सनल लॉ को प्रदान करें।

डॉ. अस्मा ज़ैहरा	समिति सदस्य, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड
श्रीमती मम्दुहा माजिद	सदस्य, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड
श्रीमती अतिया सिद्दकी	सदस्य, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, अध्यक्ष जमात इस्लामी हिंद
श्रीमती ज़ीनत मेहताब	सामाजिक समिति, नई दिल्ली
श्रीमती बुशरा रहमान	संभाल, उत्तर प्रदेश
डॉ. अतिया खिलजी	जमात एहले हदीस, नई दिल्ली
श्रीमती खुर्शीद	देवबंद
श्रीमती यासमीन फ़ारूकी	वीमेन इंडिया, राजस्थान

This document was created with Win2PDF available at http://www.win2pdf.com.
The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.
This page will not be added after purchasing Win2PDF.